"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 मार्च 2013—चैत्र 8, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2013

क्रमांक एफ 9-3/2013-1/5.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर में स्थित नवनिर्मित मंत्रालय भवन का नाम "महानदी भवन" घोषित करती है. तद्नुसार नवनिर्मित मंत्रालय भवन के संबंध में "महानदी भवन" नाम का उपयोग समस्त शासकीय पत्राचार में किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अग्रवाल, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

रायपुर, दिनांक 8 मार्च 2013

क्रमांक एफ 6-24/2011/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 के उपखंड (2) के अंतर्गत श्री प्रदीप कुमार देशपाण्डे, सदस्य, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर, 62 वर्ष आयु पूर्ण करने के कारण दिनांक 25-06-2013 को (अपरान्ह) अपने पद से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 मार्च 2013

क्रमांक एफ 6-24/2011/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-24/2011/1/एक, दिनांक 8-3-13 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

Raipur, the 8th March 2013

No. F 6-24/2011/1/One.—Under clause (2) of the Article 316 of the Constitution of India Shri Pradeep Kumar Deshpande, Member, Chhattisgarh Public Service Commission, Raipur shall cease to hold the office on the afternoon of 25-06-2013 on completion of the age of 62 years.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Secretary.

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2013

क्रमांक एफ 4-6/2006/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश कुमार अग्निहोत्री, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 (01 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित लघुकृत अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2013

क्रमांक एफ 6-41/2011/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा मान. प्रो. (डॉ.) प्रदीप कुमार जोशी, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर को दिनांक 23-11-2012 से 01-12-2012 तक (09 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति तथा अवकाश पश्चात् दिनांक 02-12-2012 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की अनुमति प्रदान करता है.

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2013

क्रमांक एफ 6-21/2008/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय डॉ. दुर्गाशरण चन्द्रा, सदस्य, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर को दिनांक 26-10-2012 से 03-11-2012 तक (09 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2013

क्रमांक एफ 4-4/2012/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ चन्द्राकर, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 26-11-2012 (01 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति तथा अवकाश पूर्व दिनांक 25-11-2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की अनुमति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2013

क्रमांक एफ 1-4/2008/(6)52.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची-तीन में,—

सरल क्रमांक 1 के कालम (6) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान (प्राणीशास्त्र या वनस्पतिशास्त्र) या कृषि शास्त्र या सेरीकल्चर विषय (बी.एस.सी. जीव विज्ञान/कृषि विज्ञान/सेरीकल्चर) में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2013

क्रमांक एफ 1-4/2008/(6)52.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-4/2008/(6) 52 दिनांक 13-2-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, उप-सचिव.

Raipur, the 13th February 2013

No. F 1-4/2008/(6) 52.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Directorate of Rural Industries (Sericulture Sector) Chhattisgarh, (Gazetted) Service, Recruitment Rules, 2010, namely :—

AMENDMENT

In Schedule-III of the said rules,—

For the entries relating to column (6) of serial number 1, the following shall be substituted, namely :—

"Minimum Second Division in Graduation in Biology (Zoology or Botany) or Agriculture or Sericulture subject (B.Sc. Biology/Agriculture/Sericulture) from any recognized University."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Deputy Secretary.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2013

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1/47.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77(iv) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जी. एस. कलसी, संचालक व प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित को एक वर्ष की पुनर्नियुक्ति अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप दिनांक 28-02-2013 से उन्हें उक्त कंपनी के संचालक एवं प्रबंध संचालक के प्रभार से पद मुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2013

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1/49.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री विजय सिंह, कार्यपालक निदेशक (टी एण्ड सी) छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित जिनकी मूल पद से सेवानिवृत्ति दिनांक 31-08-2013 है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित के पद पर नियुक्त करता है.

2. श्री विजय सिंह को उपरोक्त कंपनी के अंतर्नियम की कंडिका 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा कार्यभार ग्रहण के दिनांक से एक वर्ष के लिये छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित का प्रबंध संचालक नियुक्त करता है.

3. श्री विजय सिंह के वेतन/भत्ते एवं सेवा शर्तों के संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जावेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2013

क्रमांक/242/998/2007/32.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की सूचना क्रमांक 2279/998/2007/32 दिनांक 13-08-2012 द्वारा विकास योजना भिलाई-दुर्ग भाग एक भिलाई में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

विकास योजना भिलाई-दुर्ग भाग एक भिलाई में उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टर में)	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	हथखोज प.ह.नं. 18	320 भाग, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345 भाग, 346, 347, 348, 349 भाग, 350 भाग, 358 भाग, 363, 364 भाग, 365 भाग, 366 भाग, 367 भाग, 368, 369, 370, 371, 372 भाग, 373 भाग, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380 भाग, 384 भाग, 385 भाग, 386 भाग, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 भाग, 394, 395 भाग, 396 भाग, 397 भाग, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404 भाग, 405 भाग, 406 भाग, 407 भाग, 408 भाग, 409, 410, 411, 412, 413 भाग.	78.9 हेक्टेयर	आवासीय	औद्योगिक
2.	हथखोज प.ह.नं. 18	320 भाग	0.696	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	औद्योगिक

2. उक्त उपांतरण छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्लपमेंट कारपोरेशन की औद्योगिक विकास की स्थापना के प्रयोजन के लिए है.

3. सूचना में उल्लेखित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा विकास योजना भिलाई-दुर्ग भाग एक भिलाई में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण विकास योजना भिलाई-दुर्ग भाग एक भिलाई का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2013

क्रमांक एफ 7-03/2013/32.—मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अर्थारिटी, रायपुर द्वारा नया रायपुर विकास योजना 2031 के अंतर्गत नीचे दिए गए विवरण अनुसार भूमियों में विकास योजना में आमोद प्रमोद हेतु दर्शित हो गया है :—

सरल क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	पटवारी हल्का नम्बर (3)	खसरा क्रमांक (4)	रकबा (5)
1.	कोटराभाटा	69/18	436 का भाग एवं 374 का भाग	9.53 हेक्टेयर
2.	कोटनी	तदैव	01 एवं 02 का भाग, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एवं 28 का भाग, 231, 232, 233 एवं 234 का भाग.	10.46 हेक्टेयर
				कुल 19.99 हेक्टेयर

2. चूंकि आमोद-प्रमोद हेतु भूमि के अंतर्गत केवल आंशिक भूमि पर वृक्षारोपण पाया जाना तथा शेष भाग खुला पाये जाने के कारण संपूर्ण सेक्टर की प्लानिंग प्रभावित होने के कारण संशोधन किया जाना आवश्यक है.

3. अतः राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 35(2) के प्रावधानों के अंतर्गत यह समाधान होने के पश्चात् वर्णित दोनों ग्रामों की भूमि को मिलाकर कुल रकबा 19.99 हेक्टेयर भूमि नया रायपुर विकास योजना 2031 में आमोद-प्रमोद से निकाले दिए जाने की मंजूरी देता है.

4. इस आदेश के जारी होने के दिनांक से प्रश्नाधीन भूमि नया रायपुर विकास योजना 2031 में दर्शित आरक्षण से निर्मुक्त हुई समझी जावेगी और वह पार्श्वस्थ भूमि के मामले में सुसंगत योजना के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय विकास के प्रयोजन के लिए स्वामी को उपलब्ध हो जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2013

क्रमांक एफ 1-16/2004/11/(6).—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-1/2013/1/2, दिनांक 08-02-2013 द्वारा श्री एल. एस. केन (भाप्रसे), संयुक्त सचिव, गृह को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. श्री केन को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) की धारा 4 एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 58 (1) के तहत पंजीयक की समस्त शक्तियां आगामी आदेश होने तक प्रदत्त की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, केपिटल काम्पलेक्स, महानदी भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2013

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक-एफ 3-142/2012/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कालम नम्बर 3 में वर्णित पुलिस थाना/चौकी के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रवृष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं. 2 में वर्णित पुलिस थाना/चौकी के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है :—

क्र.	थाना/चौकी का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है	उस थाना/चौकी का नाम, जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र	
			ग्राम का नाम	पटवारी ह. नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना-चक्रधरनगर, जिला-रायगढ़	थाना-पूंजीपथरा	बरलिया	15
			दनौट	15
			भेलवांटिकरा	15
			विजयपुर	13
2.	थाना व तह.-बगीचा, जिला-जशपुर	चौकी-पण्डरापाठ, थाना-बगीचा	रोकड़ा	18
3.	थाना-बम्हनीडीह, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा.	थाना-बिर्रा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा.	कपिस्दा	112

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2013

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक-एफ 3-42/2011/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कालम नम्बर 3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रवृष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं. 2 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है :—

क्र.	थाना/चौकी का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है	उस थाने/चौकी का नाम, जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र	
			ग्राम का नाम	पटवारी ह. नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	थाना-मुलमुला, जिला-जांजगीर-चांपा.	तरौद	14
			रोगदा	14
	नवीन चौकी-बन्दोरा, जिला-जांजगीर-चांपा	थाना-मालखरौदा, जिला-जांजगीर-चांपा.	अण्डी	06
			करिगांव	06
			चरौदा	06
			चरौदी	06
			सकरी	07

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			बुंदेली	08
			बंदोरा	08
			परसा	10
			परसी	10
			अण्डा	11
	नवीन चौकी-अड़भार, जिला-जांजगीर-चांपा.	थाना-मालखरौदा, जिला-जांजगीर-चांपा.	ढिमानी	07
			अड़भार	08
			बंजारी	08
			लिमगांव	08
			संजारी	08
			हादी	08
			कर्रापाली	09
			खैरताल	09
			छतौना	09
			टाटा	09
			बोकरेल	09
			दारीमुडा	10

रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2013

क्रमांक-एफ 3-27/2013/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कालम नम्बर 3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रवृष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं. 2 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है :—

क्र.	थाना/चौकी का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है	उस थाने/चौकी का नाम, जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र	
			ग्राम का नाम	पटवारी ह. नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना-सिमगा, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा.	थाना-नेवरा, तहसील-सिमगा, जिला-जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा.	हथबंद	22
			उड़ेला	23
			पौंसरी	23
			सकरी	24
			करेली	24
			भैंसा	24
			नेवधा	23
2.	थाना-नेवरा, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर.	थाना सिमगा, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर.	सांकरा	5
			भूमिया	1
			लखना	2
			बेमता	1
			सुंगेरा	2
			ओटगन	7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	थाना-आरंग, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर	थाना-पलारी, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर.	अमसेना	43
			कोडापारा	43
			भंडार	41
			कूटेला	45
			सेजा	40
			डुम्हा	40
			कुरूद	46
			मुहमेला	45
			चिखली	45
			धौराभाठा	44
			करमंदी	47
			धोरभट्ठी	43
			अमोदी	44

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 5 फरवरी 2013

रा. प्रकरण क्रमांक 02 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	दुल्लापुर प. ह. नं. 41	7.044	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम.	रेंगाबोड़ (कुण्डा) व्यपवर्तन योजना के नहर कार्य हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 5 फरवरी 2013

रा. प्रकरण क्रमांक 03 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	बघर्रा प. ह. नं. 40	4.384	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम.	रेंगाबोड़ (कुण्डा) व्यपवर्तन योजना के नहर कार्य हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 5 फरवरी 2013

रा. प्रकरण क्रमांक 04 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	भुवालपुर प. ह. नं. 40	3.299	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम.	रेंगाबोड़ (कुण्डा) व्यपवर्तन योजना के नहर कार्य हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 13 फरवरी 2013

रा. प्रकरण क्रमांक 05 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	सेन्हाभाठा प. ह. नं. 52	3.501	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम.	रेंगाबोड़ (कुण्डा) व्यपवर्तन योजना के नहर कार्य हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 13 फरवरी 2013

रा. प्रकरण क्रमांक 06 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	ओड़ाडबरी प. ह. नं. 52	4.425	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम.	रेंगाबोड़ (कुण्डा) व्यपवर्तन योजना के नहर कार्य हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 13 फरवरी 2013

रा. प्रकरण क्रमांक 07 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	लोखान प. ह. नं. 52	6.244	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम.	रेंगाबोड़ (कुण्डा) व्यपवर्तन योजना के नहर कार्य हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 14 फरवरी 2013

प्रकरण क्रमांक 01 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	नेवासपुर प्लांट प. ह. नं. 47	15.430	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम.	नेवासपुर जलाशय के डुबान हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 14 फरवरी 2013

प्रकरण क्रमांक 04 अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	घोंघा प. ह. नं. 23	0.964	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा.	चाकरनाला जलाशय के अन्तर्गत नहर नाली हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बोड़ला के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 14 फरवरी 2013

प्रकरण क्रमांक 05 अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	दियाबार प. ह. नं. 30	0.790	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा.	चाकरनाला जलाशय के अन्तर्गत नहर नाली हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बोड़ला के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बालोद, दिनांक 6 फरवरी 2013

क्रमांक/2251/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	डौण्डी	अवारी प. ह. नं. 28	0.07	कार्यपालन अभियंता (निर्माण), द.पू.म. रेल्वे, रायपुर (छ.ग.).	दल्लीराजहरा रावघाट नई रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 6 फरवरी 2013

क्रमांक/2253/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	डौण्डी	छिंदगांव प. ह. नं. 25	0.02	कार्यपालन अभियंता (निर्माण), द.पू.म. रेल्वे, रायपुर (छ.ग.).	दल्लीराजहरा रावघाट नई रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 6 फरवरी 2013

[illegible]/2256/[illegible]-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की [illegible] (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: [illegible] अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	डौण्डी	डौण्डी प. ह. नं. 24	0.80	कार्यपालन अभियंता (निर्माण), द.पू.म. रेल्वे, रायपुर (छ.ग.).	दल्लीराजहरा रावघाट नई रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 6 फरवरी 2013

क्रमांक/2257/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	डौण्डी	अवारी प. ह. नं. 28	2.09	कार्यपालन अभियंता (निर्माण), द.पू.म. रेल्वे, रायपुर (छ.ग.).	दल्लीराजहरा रावघाट नई रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 6 फरवरी 2013

क्रमांक/2259/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	डौण्डीलोहारा	कर्रेगांव प. ह. नं. 31/47	20.85	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद.	कर्रेगांव जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र एवं नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत कुमार खलखो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

गरियाबंद, दिनांक 8 फरवरी 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 1 अ/82/वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	गरियाबंद	कोचवाय प. ह. नं. 20/43	2.80	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	गरियाबंद - नहरगांव - कोचवाय मार्ग में पैरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण के कोचवाय की ओर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 8 फरवरी 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 2 अ/82/वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	गरियाबंद	नहरगांव प. ह. नं. 54	0.45	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	गरियाबंद - नहरगांव - कोचवाय मार्ग में पैरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण के नहरगांव की ओर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 8 फरवरी 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 3 अ/82/वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	गरियाबंद	बारूला प. ह. नं. 39/18	1.07	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	नहरगांव - नागाबुड़ा - बारूला मार्ग में पैरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण के बारूला की ओर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

[illegible] (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 8 फरवरी 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 4 अ/82/वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	गरियाबंद	नागाबुड़ा प. ह. नं. 54	2.11	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	नहरगांव - नागाबुड़ा - बारूला मार्ग में पैरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण के नागाबुड़ा की ओर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 6 फरवरी 2013

क्रमांक/787/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	पारागांवखुर्द प. ह. नं. 12	9.17	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पिनकापार डायवर्सन के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 फरवरी 2013

क्रमांक/788/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	मुड़पार प. ह. नं. 29	8.48	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पिनकापार डायवर्सन के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 फरवरी 2013

क्रमांक/961/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	पंडरिया प. ह. नं. 09	3.09	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान, जिला-राजनांदगांव.	भेड़भड़ी पिकअपवियर उन्नत कार्य के अंतर्गत लघु नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 फरवरी 2013

क्रमांक/962/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	झूरानदी प. ह. नं. 24	2.26	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान, जिला- राजनांदगांव	भेण्डरा जलाशय के अंतर्गत डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 फरवरी 2013

क्रमांक/1007/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	कन्हारगांव प. ह. नं. 63/1	0.594	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव, जिला- राजनांदगांव.	देवकट्टा जलाशय के अंतर्गत कन्हारगांव सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 फरवरी 2013

क्रमांक/1008/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	कन्हारगांव प. ह. नं. 63/1	1.092	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव.	देवकट्टा जलाशय के अंतर्गत कन्हारगांव माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 फरवरी 2013

क्रमांक/1009/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	कटली प. ह. नं. 17	0.895	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव.	देवकट्टा जलाशय के अंतर्गत देवकट्टा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 फरवरी 2013

क्रमांक/1010/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	कटली प. ह. नं. 17	1.422	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव.	देवकट्टा जलाशय के अंतर्गत बेलगांव माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 फरवरी 2013

क्रमांक/1011/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	देवकट्टा प. ह. नं. 03	1.459	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव.	देवकट्टा जलाशय के अंतर्गत कन्हारगांव सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 फरवरी 2013

क्रमांक/1012/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	देवकट्टा प. ह. नं. 03	0.676	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव.	देवकट्टा जलाशय के अंतर्गत देवकट्टा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 फरवरी 2013

क्रमांक/1013/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	बेलगांव प. ह. नं. 03	0.388	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव.	देवकट्टा जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर का विस्तार कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्रमांक/1438/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	मोहड़ / प. ह. नं. 13	69.672	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाट परियोजना संभाग, बालोद.	मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत बांध के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्रमांक/1440/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	मोहड़ प. ह. नं. 13	2.455	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाट परियोजना संभाग, बालोद.	मोहड़ परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्रमांक/1441/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	सिरलगढ़ प. ह. नं. 15	15.095	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाट परियोजना संभाग, बालोद.	मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत बांध के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्रमांक/1442/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	बूटाकसा प. ह. नं. 15	14.663	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाट परियोजना संभाग, बालोद.	मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत बांध के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 24 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 1 अ/82 वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	ठाकुरदिया प. ह. नं. 03	5.51	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	बालमदेही व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 24 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 3 अ/82 वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	परसदा प. ह. नं. 03	6.33	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	बालमदेही व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 24 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 4 अ/82 वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	बोरसी प. ह. नं. 04	13.15	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	बालमदेही व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 24 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 5 अ/82 वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	बगार प. ह. नं. 05	6.20	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	बालमदेही व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 24 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 5 अ/82 वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	नारायणपुर प. ह. नं. 05	2.34	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	वालमदेही व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 31 जनवरी 2013

क्रमांक/12/भू-अर्जन/वा./वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	चिचोली प. ह. नं. 27	31.907	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा.	बयंतपुर बैराज निर्माण कार्य हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 1 मार्च 2013

क्रमांक/अ.भू.अ./प्रक्र. 2/अ-82/वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेरला	सोढ़ प. ह. नं. 14	0.17	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बेमेतरा.	ए.डी.बी. अंतर्गत रायपुर, उरला, पठारीडीह, बेरला, कोदवा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयीकरण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 1 मार्च 2013

क्रमांक/अ.भू.अ./प्रक्र. 2/अ-82/वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेरला	हतपान प. ह. नं. 14	0.12	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बेमेतरा.	ए.डी.बी. अंतर्गत रायपुर, उरला, पठारीडीह, बेरला, कोदवा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयीकरण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 1 मार्च 2013

क्रमांक/अ.भू.अ./प्रक्र. 3/अ-82/वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेरला	बेरला प. ह. नं. 15	0.30	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बेमेतरा.	ए.डी.बी. अंतर्गत रायपुर, उरला, पठारीडीह, बेरला, कोदवा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयीकरण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रुति सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 18 फरवरी 2013

क्रमांक 02/2012-13/भू-अर्जन.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	खड़गवां	कदरेवा	18.87	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)	ग्राम आमाडांड़ एवं छोटेकलुआ में सिंचाई सुविधा देने हेतु बांध एवं नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खड़गवां-चिरमिरी के कार्यालय में उपलब्ध है.

कोरिया, दिनांक 18 फरवरी 2013

क्रमांक 03/2012-13/भू-अर्जन.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	खड़गवां	छोटेकलुआ	4.77	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)	ग्राम छोटेकलुआ में सिंचाई सुविधा देने हेतु बांध एवं नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खड़गवां-चिरमिरी के कार्यालय में उपलब्ध है.

कोरिया, दिनांक 18 फरवरी 2013

क्रमांक 04/2012-13/भू-अर्जन.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	खड़गवां	पड़िता	3.12	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)	ग्राम गणेशपुर एवं पड़िता में सिंचाई सुविधा देने हेतु बांध एवं नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खड़गवां-चिरमिरी के कार्यालय में उपलब्ध है.

कोरिया, दिनांक 18 फरवरी 2013

क्रमांक 05/2012-13/भू-अर्जन.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	खड़गवां	गणेशपुर	3.55	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)	ग्राम गणेशपुर एवं पड़िता में सिंचाई सुविधा देने हेतु बांध एवं नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खड़गवां चिरमिरी के कार्यालय में उपलब्ध है.

कोरिया, दिनांक 18 फरवरी 2013

क्रमांक 06/2012-13/भू-अर्जन.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	खड़गवां	करवां	13.20	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)	ग्राम करवां एवं कोड़ांगी में सिंचाई सुविधा देने हेतु बांध एवं नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खड़गवां-चिरमिरी के कार्यालय में उपलब्ध है.

कोरिया, दिनांक 18 फरवरी 2013

क्रमांक 07/2012-13/भू-अर्जन.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	खड़गवां	कोड़ांगी	1.16	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)	ग्राम कोड़ांगी में सिंचाई सुविधा देने हेतु नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खड़गवां-चिरमिरी के कार्यालय में उपलब्ध है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 फरवरी 2013

क्रमांक/भू-अर्जन प्र.क्र. 01/अ-82/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी प.ह.नं. 20	1.551	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर, मुख्यालय चांपा.	मिरौनी बैराज के तहत् सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर-चाम्पा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 1 अगस्त 2012

रा. प्र. क्र./14/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	सोहगा	1.193	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	श्याम परियोजना (घुनघुट्टा) के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलरामपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2012

रा. प्र. क्र. 01 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रामानुजगंज	बलरामपुर	दहेजवार	0.10	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी, खण्ड-रामानुजगंज.	नगर- बलरामपुर के आवर्धन जल प्रदाय योजना के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 15 फरवरी 2013

रा. प्र. क्र. 2 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	रामानुजगंज	सलवाही	3.05	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्र.-2, रामानुजगंज.	चेरा व्यपवर्तन सिंचाई योजना के बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 15 फरवरी 2013

रा. प्र. क्र. 3 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वणन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	रामानुजगंज	लावा	1.16	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्र.-2, रामानुजगंज.	जमती झरिया व्यपवर्तन सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 15 फरवरी 2013

रा. प्र. क्र. 4 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	रामानुजगंज	विमलापुर	9.61	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्र.-2, रामानुजगंज.	अनभूल जलाशय के बांध, डूब, वेस्ट वियर एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 15 फरवरी 2013

रा. प्र. क्र. 5 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	रामानुजगंज	सनावल	1.05	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्र.-2, रामानुजगंज.	कामेश्वरनगर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 15 फरवरी 2013

रा. प्र. क्र. 6 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	रामानुजगंज	कामेश्वरनगर	0.93	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्र.-2, रामानुजगंज.	कामेश्वरनगर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. **आर. प्रसन्ना,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 26 फरवरी 2012

क्रमांक/844/कले/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	पण्डरीपानी	0.17	उप अभियंता, (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, रायपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 26 फरवरी 2012

क्रमांक/845/कले/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	कच्चे	0.32	उप अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, रायपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 26 फरवरी 2012

क्रमांक/846/कले/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	भैसमुण्डी	7.52	उप अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, रायपुर	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 26 फरवरी 2012

क्रमांक/847/कले/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	किनारी	0.03	उप अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, रायपुर	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 26 फरवरी 2012

क्रमांक/848/कले/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	भैसाकन्हार	1.55	उप अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, रायपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 27 जून 2012

क्रमांक 21/अ-82/2005-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	चपोरा प. ह. नं. 6	0.194	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-1, बिलासपुर.	आर. एम. के. के. मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

बिलासपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2012

क्रमांक 8/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	भरनी	0.477	उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र के. रि. पुलिस बल, भरनी.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल केम्प निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 5 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	सिंघनपुर प. ह. नं. 1	0.920	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर, मुख्यालय चांपा.	महानदी पर निर्माणाधीन मिरौनी बैराज के तहत दायें तट पर सड़क निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिंया	आड़पथरा प. ह. नं. 28	0.865	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	आड़पथरा जबलपुर मार्ग पर मांड नदी पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिंया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिंया	गुरदा प. ह. नं. 29	0.311	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	भालूनारा-नवरंगपुर मार्ग पर निर्मित मांड नदी पुल के पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिंया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	उसरौठ	0.278	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	जामपाली उसरौठ मार्ग पर ढोलवा नाला पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	गोर्रा प. ह. नं. 1	0.929	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा (अस्थायी मुख्यालय), खरसिंया.	केलो परियोजना के अंतर्गत धनगांव वितरक नहर (आर.डी. 2850 से 5790) निर्माण पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	सकालो प. ह. नं. 10	4.844	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	सकालो जलाशय के स्पील एवं शाखा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	इन्दकालो प. ह. नं. 10	0.789	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	सकालो जलाशय के इन्दकालो शाखा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 फरवरी 2013

क्रमांक 3527/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	सलका प. ह. नं. 19	0.304	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	शेराडांड औराडांड सलका कुमरता मार्ग पर सांगुल नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 फरवरी 2013

क्रमांक 3531/भू-अजन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	पखनाकोट प. ह. नं. 14	1.252	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	पखनाकोट डूंडबहार मार्ग पर डूंडबहार नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 48/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	कोड़ातराई प. ह. नं. 05	64.731	आयुक्त, विमानन संचालनालय रायपुर.	कोड़ातराई रायगढ़ हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 49/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	जकेला प. ह. नं. 13	86.496	आयुक्त, विमानन संचालनालय रायपुर.	कोड़ातराई रायगढ़ हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 50/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	औरदा प. ह. नं. 13	29.188	आयुक्त, विमानन संचालनालय रायपुर.	कोड़ातराई रायगढ़ हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 51/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बेलपाली प. ह. नं. 05	48.816	आयुक्त, विमानन संचालनालय रायपुर.	कोड़ातराई रायगढ़ हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./08/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	सरोरा प. ह. नं. 06	130/3	0.024	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर.	सरोरा जलाशय के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन
			130/1	0.004		
			133/1	0.061		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			679/1	0.101		
			679/2	0.081		
			152	0.037		
			210/3	0.004		
			212	0.003		
			151/4	0.069		
			151/3	0.004		
			157/2	0.117		
			157/1	0.081		
			150/1	0.008		
			158/3	0.020		
			191	0.049		
			291/6	0.041		
			183/5	0.078		
			183/4	0.008		
			190/3	0.032		
			190/2	0.041		
			180/5	0.032		
			190/4	0.028		
			179	0.012		
			190/8	0.024		
			192	0.121		
			209/6	0.053		
			210/4	0.069		
			291/7	0.093		
			213/2	0.041		
			213/5	0.081		
			291/2	0.008		
			291/3	0.008		
			291/4	0.041		
			289/5	0.061		
			289/6	0.061		
			289/7	0.061		
			288/2	0.036		
			288/1	0.041		
			287/2	0.028		
			715/1	0.113		
			716/1	0.012		
			106/66	0.077		
			106/65	0.121		
			106/43	0.012		
			106/9	0.125		
			106/2	0.008		
			124/1	0.008		
			123	0.113		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			122/1	0.061		
			121/3	0.004		
			112/1	0.093		
			106/1	0.020		
			121/1	0.093		
			211/2	0.032		
			291/1	0.008		
			291/9	0.041		
			291/5	0.012		
		योग	57	2.715		

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2013

क्रमांक 231/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 5/अ. 82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	खण्डवा प. ह. नं. 139/18	184	1.02	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अर्थारिटी, रायपुर.	नया रायपुर में जंगल सफारी निर्माण हेतु.
			185	0.12		
			186	5.58		
			187	14.29		
			188	9.93		
			189	0.78		
		योग	06	31.72		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2013

क्रमांक 232/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 6/अ. 82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	कोटनी प. ह. नं. 20	19/4	0.15	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अर्थारिटी, रायपुर.	सड़क क्रमांक-9 निर्माण हेतु.
		योग	01	0.15		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2013

क्रमांक 233/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 2/अ. 82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	केन्द्री प. ह. नं. 21	600/3	0.032	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अर्थारिटी, रायपुर.	योजना क्षेत्र हेतु
			601/2	0.050		
			602/4	0.044		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			603/1	0.058		
			604/1, 604/2	0.027		
			604/3	0.161		
			607/3, 608/3	0.619		
			608/1, 608/4	0.170		
			608/6	0.069		
			609	0.040		
			610	0.040		
			611	0.134		
			612/1	0.045		
			612/2	0.045		
			613	0.097		
			614/1-2	0.186		
			615/1	0.194		
			615/3	0.102		
			615/4	0.137		
			616/1	0.109		
			618/1	0.032		
			619/1	0.259		
			620	0.029		
			621/3	0.036		
			623/1	0.028		
			624/1	0.036		
			625	0.077		
			634	0.174		
			635/1	0.162		
			636/1	0.109		
			636/2	0.166		
			639/3, 643/3	0.106		
			641	0.032		
			642/1	0.073		
			644/1	0.125		
			644/2	0.084		
			645	0.036		
			647	0.036		
			649/1	0.028		
			649/2	0.028		
			654/1	0.146		
			654/2	0.073		
			655/1	0.061		
			656/1	0.061		
			656/2	0.060		
			658	0.615		
			665/1	0.085		
			665/2	0.085		
			666	0.202		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			668, 669	0.210		
			670/1, 670/2	0.125		
			671/1, 671/2	0.081		
			672/1	0.032		
			672/2	0.036		
			673/1	0.105		
			674	0.458		
			675/1	0.040		
			675/2	0.040		
			676	0.304		
			677/1	0.045		
			677/2	0.045		
			678	0.040		
			679	0.065		
			681/1	0.024		
			681/2	0.024		
			682	0.135		
			689/1	0.845		
			691/1	0.328		
			692/1	0.384		
			693/2	0.029		
			694/2	0.251		
			695/1	0.149		
			695/2	0.405		
			695/3	0.149		
			696/1	0.271		
			696/2	0.089		
			696/3	0.178		
			698/1	0.380		
			698/3	0.202		
			698/4	0.202		
			699/3	0.325		
			699/4, 714/1	0.170		
			699/6	0.102		
			699/10, 714/5	0.260		
			699/16, 714/9	0.270		
			699/28, 714/16, 699/27	0.048		
			699/29, 714/16	0.024		
			699/31, 714/18	0.045		
			708/1	0.012		
			708/3	0.109		
			710/1	0.110		
			710/2	0.198		
			710/4	0.312		
			710/5	0.202		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			710/7	0.263		
			711/1, 724/1	0.308		
			711/2, 724/2	0.344		
			711/3, 724/3	0.215		
			712/2	0.049		
			713/2	0.109		
			713/3	0.162		
			715/2	0.082		
			715/6	0.022		
			715/7	0.022		
			716/1	0.010		
			716/3	0.093		
			716/4	0.087		
			716/5	0.046		
			716/6	0.108		
			717/5, 718/5	0.046		
			717/3	0.091		
			717/4	0.093		
			718/1	0.113		
			718/3	0.006		
			719/1	0.259		
			719/3	0.162		
			721	0.360		
			720/1, 2, 3, 4, 5	0.512		
			722/1	0.243		
			723/2	0.080		
			723/3	0.092		
			723/4	0.200		
			723/5	0.204		
			725/2	0.231		
			725/4	0.142		
			726/1	1.103		
			726/3	0.195		
			726/4	0.073		
			727/1	0.210		
			727/3	0.102		
			727/4	0.048		
			728/1	0.113		
			728/3	0.162		
			728/4	0.085		
			729/3	0.037		
			729/4	0.037		
			729/5	0.093		
			729/6	0.093		
			730/1	0.239		
			730/4	0.130		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			731/1, 732/1 747/3	0.655		
			731/3, 732/3 747/11	0.020		
			731/5, 732/5, 747/13	0.118		
			733/1	0.441		
			733/3	0.206		
			734/1	0.485		
			734/2	0.526		
			735/4	0.154		
			735/5	0.235		
			735/6	0.097		
			736/2	0.089		
			736/3	0.162		
			736/4	0.077		
			736/5	0.045		
			736/6	0.145		
			736/7	0.089		
			736/8	0.024		
			736/12	0.113		
			736/13	0.089		
			736/14	0.101		
			736/15	0.061		
			736/16	0.040		
			736/18	0.129		
			736/19	0.045		
			736/20	0.052		
			736/21	0.061		
			736/22	0.036		
			737/1, 738/1	0.886		
			741/1	0.364		
			741/2	0.020		
			741/3	0.040		
			741/4	0.218		
			741/5	0.053		
			742/1	0.870		
			742/2	0.142		
			742/3	0.142		
			742/4	0.547		
			743/1	0.926		
			743/2	0.372		
			744/1	0.129		
			744/2	0.126		
			745	0.251		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			747/2	0.324		
			750	0.421		
			751	0.138		
			752/1	0.045		
			752/2	0.044		
			752/3	0.089		
			753	0.138		
			754/1	0.069		
			754/2	0.069		
			755	0.089		
			757	0.405		
			758/2	0.162		
			759/1	0.032		
			759/2	0.032		
			759/3	0.032		
			759/4	0.032		
			760/2	0.142		
			760/3, 760/6	0.170		
			760/4	0.049		
			760/5	0.049		
			760/7	0.360		
			760/8, 760/9	0.174		
			761	0.138		
			762/1	0.069		
			762/2	0.036		
			762/3	0.036		
			763	0.312		
			764/1	0.113		
			764/2	0.117		
			764/3	0.117		
			765/1	0.089		
			765/2	0.040		
			765/3	0.036		
			767/1	0.279		
			767/2	0.138		
			768	0.223		
			769/1	0.231		
			769/2	0.227		
			770	0.065		
			771/1	0.021		
			771/2	0.021		
			771/3	0.021		
			771/4	0.021		
			771/5	0.021		
			771/6	0.023		
			772	0.134		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			774	0.214		
			776	0.065		
			777	0.328		
			778	0.125		
			779	0.097		
			781/1	0.057		
			781/2	0.053		
			782/1	0.057		
			782/2	0.146		
			782/3	0.146		
			782/4	0.146		
			783/1	0.016		
			783/2	0.028		
			784/1	0.049		
			784/2	0.049		
			785	0.040		
			786/1, 786/2	0.081		
			787	0.397		
			788	0.304		
			789/1	0.077		
			789/2	0.065		
			789/3	0.032		
			790/1	0.057		
			790/3	0.057		
			791/1	0.085		
			791/2	0.085		
			793/1	0.097		
			793/3	0.045		
			794/1	0.028		
			794/2	0.029		
			795	0.109		
			796	0.057		
			797	0.287		
			798/1	0.299		
			798/2	0.304		
			799	0.158		
			800/1	0.040		
			800/2	0.040		
			800/3	0.040		
			801/1	0.028		
			801/2	0.024		
			801/3	0.053		
			802	0.077		
			803/1, 803/2	0.077		
			804/1	0.142		
			804/2	0.121		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			806/1	0.138		
			806/2	0.142		
			808	0.324		
			809/1	0.069		
			809/3	0.065		
			810/1	0.448		
			810/2	0.458		
			811/1	0.045		
			811/2	0.024		
			811/3	0.020		
			812/1	0.166		
			812/2	0.166		
			813/1	0.170		
			813/2	0.085		
			814/1	0.040		
			814/2	0.045		
			814/3	0.040		
			815	0.129		
			816	0.121		
			817	0.109		
			818	0.073		
			819/1	0.312		
			819/2, 819/4	0.466		
			819/3	0.470		
			820	0.320		
			821/1-2	0.324		
			822	0.061		
			823/1-2	0.190		
			824	0.113		
			825	0.077		
			826/1	0.239		
			827/1	0.239		
			827/2	0.239		
			827/3	0.202		
			828/1	0.049		
			828/2	0.526		
			829/1	0.186		
			829/2	0.040		
			829/3	0.081		
			829/4	0.040		
			830/1	0.134		
			830/2	0.065		
			830/3	0.065		
			831/1	0.308		
			831/2	0.312		
			832/1	0.150		
			832/2	0.154		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			832/3	0.154		
			832/4	0.454		
			833/1	0.139		
			833/2	0.134		
			833/3	0.138		
			834	0.450		
			835/1	0.413		
			835/2	0.178		
			835/5	0.195		
		योग	**328**	**51.114**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2013

क्रमांक 241/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./अ. 82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	नवागांव प. ह. नं. 71/16	3/2	0.02	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अर्थारिटी, रायपुर.	नया रायपुर के लेयर-1 में एम्यूजमेंट पार्क शिक्षण आमोद प्रमोद तथा आवासीय प्रयोजन हेतु.
			3/3	0.02		
			3/4	0.02		
			3/6	0.02		
			3/7	0.02		
			3/9	0.02		
			8/2	0.02		
			8/3	0.02		
			8/5	0.02		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			8/6	0.02		
			8/7	0.02		
			11	0.18		
			14	0.54		
			18	0.13		
			41	0.36		
			42	0.41		
			43	0.66		
			44	0.67		
			45	0.98		
			63	0.08		
			66	0.32		
			67	0.30		
			90	0.67		
			104	0.24		
			129	0.02		
			132	0.01		
			174/2	0.04		
			175	0.12		
			176	0.16		
			181/1	0.06		
			181/2	0.05		
			183	0.02		
			184	0.05		
			185	0.06		
			187	0.04		
			249	0.26		
			250/1	0.96		
			394	0.04		
			512	0.39		
			410/696	0.13		
		योग	40	8.17		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2013

क्रमांक 242/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 11/अ. 82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	निमोरा प. ह. नं. 15	812	0.085	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अर्थारिटी, रायपुर.	नया रायपुर के विकास कार्य (योजना क्षेत्र) हेतु.
			813/1	0.033		
			813/2 (ख), 813/3 (ख), 813/4 (ख)	0.648		
			813/2, 813/3-4 (घ)	0.052		
			813/5	0.030		
			813/6	0.052		
			813/7	0.008		
			813/8	0.106		
			813/9	0.039		
			813/10	0.039		
			813/11	0.076		
			813/12	0.029		
			814/2	0.037		
			814/3	0.094		
			814/4	0.190		
			814/5	0.092		
			814/6	0.087		
			1125/1, 1129/2	0.446		
			1125/2, 1127/2, 1129/3	0.372		
			1126/3	0.263		
			1126/9	0.202		
			1126/10	0.028		
			1126/12	0.016		
			1126/17	0.017		
			1126/18	0.024		
			1126/20	0.036		
			1126/21	0.077		
			1126/22	0.041		
			1126/23	0.175		
			1127/1, 1129/4	0.372		
			1128/2	0.213		
			1129/1	0.101		
			1129/5	0.045		
			1129/6	0.045		
			1129/7	0.142		
			1129/8	0.137		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1130/3	0.121		
			1131	0.470		
			1132	0.975		
			1133/1, 1133/3	0.227		
			1133/2	0.202		
			1133/4	0.263		
			1133/6	0.336		
			1134/3	0.175		
			1134/4	0.050		
			1135/5	0.110		
			1135/6	0.122		
			1135/7	0.292		
			1136/2	0.279		
			1137/2	0.162		
			1139/2	0.040		
			1140/3	0.340		
			1141/1	0.166		
			1141/2	0.149		
			1141/3	0.146		
			1142/3	0.045		
			1142/4	0.049		
			1145/1	0.207		
			1145/2	0.291		
			1147	0.538		
			1148	0.521		
			1149	0.316		
			1150	0.433		
			1151/1	0.457		
			1151/2	0.077		
			1152	0.510		
			1153	0.379		
			1154	0.806		
			1155/1	1.469		
			1155/2	0.405		
			1157	0.069		
			1160/3	0.085		
			1160/4	0.085		
		योग	**73**	**15.816**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2013

क्रमांक 243/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 9/अ. 82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	कयाबांधा प. ह. नं. 71/16	3	1.31	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अर्थारिटी, रायपुर.	नया रायपुर के विकास कार्य (योजना क्षेत्र एवं रोड) हेतु.
			7	0.05		
			12	0.46		
			14	0.41		
			15	0.28		
			20	0.09		
			21	2.07		
			22	0.46		
			25	0.19		
			27	0.07		
			29	0.09		
			33	0.10		
			35	0.07		
			38	0.05		
			42/2	0.56		
			43	0.33		
			44	0.09		
			49	0.25		
			50	0.40		
			51	0.43		
			52	0.27		
			57	0.37		
			66	0.13		
			67	0.10		
			79	0.31		
			85	0.96		
			87	0.21		
			89	0.52		
			90	0.13		
			92	0.55		
			94	0.08		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			98	0.32		
			99	0.34		
			101	0.55		
			104	0.54		
			112	0.30		
			113	0.11		
			117	0.17		
			124	0.07		
			132	0.39		
			137	0.26		
			155	0.53		
			172	1.47		
			181	3.28		
			194	0.19		
			199	0.50		
			244/3	0.19		
			267	0.34		
			276	1.03		
			278	0.22		
			291	0.43		
			305	0.08		
			319	0.58		
			320/1	0.24		
			320/2	0.04		
			320/3	0.02		
			320/4	0.08		
			331	0.27		
			332	0.14		
			335	0.09		
			336	0.14		
			376	0.97		
			377	0.35		
			386	0.11		
			391	0.14		
			398	0.09		
			401	0.17		
			403	0.08		
			473	0.25		
			482	0.27		
			494	0.12		
			508	0.04		
			509	0.04		
			515	0.08		
			517	0.17		
			519	0.33		
			521	0.34		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			523	0.06		
			526	0.20		
			530	0.10		
			531	0.46		
			532	0.12		
			533	0.16		
			556	0.22		
			558	0.06		
			559	0.07		
			560	0.05		
			562	0.02		
			564	0.01		
			566	2.46		
			584/1	0.30		
			596	1.06		
			598/1	0.30		
			607	0.22		
			609	0.30		
			628	0.13		
			651	0.25		
			652	0.30		
			672/1	0.65		
			688/1	0.05		
			688/2	0.11		
			688/3	0.04		
			688/4	0.05		
			689	0.16		
			693	0.15		
			694/1	0.14		
			707	0.09		
			720	0.12		
			742/1	0.15		
			756/4	0.26		
			756/5	0.21		
			759	0.26		
			775	0.12		
			812	0.18		
			820	0.12		
			821	0.17		
			822	0.18		
			830/1	0.08		
			832/1	0.06		
			835/1	0.20		
			835/2	0.41		
			884/1	0.03		
			889/1	0.21		
			899/1	0.17		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			945/2	0.09		
			949	0.19		
			951	0.39		
			959/1	0.03		
			979/1	0.22		
			1014/1	0.07		
		योग	130	39.72		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2013

क्रमांक 244/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 11/अ. 82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	नवागांव प. ह. नं. 75/10	162/1	1.36	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर के विकास हेतु योजना क्षेत्र-कम्पोजीट यूज हेतु.
			163/1	0.27		
			164/1	0.97		
			165/1	0.03		
			165/2	0.02		
			168	0.48		
			172	0.33		
			173	0.08		
			179	0.44		
			180/1	0.68		
			185/1	0.42		
			188	0.19		
			207	0.69		
			209	0.07		
			210	3.44		
			224	0.68		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			225	0.14		
			226	1.03		
			227	0.45		
			246	0.29		
			247/4	0.03		
			251	0.41		
			252/2	0.11		
			253	0.11		
			254	0.13		
			255/2	0.13		
			256	0.40		
			257	0.14		
			259	0.23		
			262	0.20		
			263	0.31		
			264/1	0.07		
			265	0.17		
			266/1	0.01		
			267	0.29		
			270	0.11		
			272	0.28		
			278/1	0.04		
			281	0.78		
			282	1.17		
			285	6.00		
			286/1	0.62		
			286/2	0.12		
			286/3	0.26		
			287/1	2.22		
			287/2	1.50		
			287/3	1.94		
			291/2	0.06		
			294/2	0.51		
			295	0.90		
			301/1	2.62		
			302	1.22		
			323	0.01		
			335	0.02		
			343	0.04		
			344	0.06		
			399	1.22		
			403/1	0.34		
			424/1	0.18		
			424/2	0.12		
			425/2	0.64		
			426	0.38		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			428	0.08		
			437/1	0.03		
			442	0.70		
			457	0.26		
			512	0.40		
			518/4	0.02		
			561/4	0.06		
			563	1.04		
			573	0.17		
			581/1	0.68		
			601/1	0.08		
		योग	**73**	**41.68**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2013

क्रमांक 245/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 10/अ. 82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	चीचा प. ह. नं. 17	35/1	1.01	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अर्थारिटी, रायपुर.	नया रायपुर के विकास कार्य हेतु (योजना क्षेत्र)
			36	1.17		
			49	0.15		
			54	0.12		
			60	0.31		
			61	0.25		
			62	0.07		
			69	0.24		
			70	0.36		
			71	0.51		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			74	0.38		
			77	0.55		
			81	0.48		
			97	0.10		
			98	0.06		
			111/2	0.12		
			113	0.41		
			118	0.54		
			120	0.59		
			138	0.27		
			142	0.17		
			154	0.34		
			165	0.12		
			171/1	0.12		
			177	0.19		
			181	0.20		
			184	0.07		
			213	0.18		
			214	0.08		
			215	0.07		
			217	0.03		
			218	0.07		
			222	0.10		
			224	0.05		
			234	0.51		
			235	0.23		
			237	0.17		
			250	0.09		
			260	0.54		
			264	0.28		
			268	0.69		
			271	0.04		
			275	0.06		
			284	0.13		
			288	0.04		
			290	0.05		
			291	0.05		
			304	0.03		
			305	0.06		
			306	0.01		
			307	0.04		
			311	0.12		
			316	0.17		
			317	0.03		
			328	0.47		
			329	0.30		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			335	0.49		
			337/1	0.60		
			341	0.51		
			353/1	0.19		
			353/3	0.15		
			356	0.41		
			390	0.06		
			405	0.25		
			411	0.15		
			418	0.22		
			420	0.16		
			426	0.14		
			433	0.07		
			437	1.19		
			444	0.62		
			460	0.16		
			504	0.69		
			506	0.11		
			510	0.08		
			511	0.28		
			512	0.26		
			540	0.16		
			557	0.18		
			561/2	0.13		
			565	0.33		
			602	0.20		
			604/1	0.12		
			607	0.06		
			608	0.12		
			609	0.26		
			615	0.53		
			616	0.41		
			619/1	0.26		
			625/2	0.07		
			626	0.05		
			642	0.16		
			647	0.11		
			677	0.12		
			689	0.41		
			698	0.24		
			704	0.09		
			712	0.31		
			716	0.12		
			718	0.13		
			722	0.15		
			735/1	0.55		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			735/2	0.40		
			747	0.06		
			759/2	0.22		
			763	0.55		
			774	0.39		
			795	0.56		
			803/1	0.14		
			805	0.32		
			815	0.21		
			817	0.06		
			827/2	0.14		
			838	0.30		
			844	0.07		
			846	0.15		
			847	0.71		
			849	1.25		
			852/1	0.04		
			861/1	0.05		
			863	0.36		
			865	0.16		
			876	0.58		
			886	0.53		
			893/1	0.10		
			898	0.11		
			901	0.30		
			904/1	0.15		
			905	1.03		
			906/1	0.22		
			911/1	0.53		
			913	0.37		
			916	0.24		
			921/1	0.03		
			924	0.16		
			925	0.13		
			930	0.07		
			933	14.77		
			934/1	0.34		
			936	0.05		
			937	0.04		
			938	0.40		
			942/1	0.09		
			944	0.61		
			949/1	0.32		
			950/1	0.21		
			951/1	0.06		
			953/1	0.14		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			954	0.21		
			969	0.82		
			970	0.19		
			971	0.17		
			976	0.19		
			977	0.10		
			333/990	0.07		
		योग	155	55.12		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2013

क्रमांक 246/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 8/अ. 82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	रीको प. ह. नं. 21	66	0.81	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अर्थारिटी, रायपुर.	नया रायपुर विकास हेतु
			67	0.33		
			68	0.24		
			75	0.42		
			76	0.47		
			77	0.44		
			79	0.25		
			81	0.17		
			82	0.09		
			83	1.15		
			87/1	0.67		
			87/2	0.54		
			88	0.23		
			89	0.27		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			90	3.50		
			92	0.18		
			94	0.24		
			95	0.58		
			96	0.71		
			97/2	0.48		
			98	0.40		
			99	0.28		
			110	0.17		
			113	0.33		
			117	0.97		
			121	0.40		
			123	0.03		
			127	1.33		
			128	2.75		
			214	0.45		
			217	0.24		
			218	0.08		
			219	0.09		
			220	0.03		
			221	0.11		
			225	0.10		
			226	0.37		
			227	0.17		
			230	0.07		
			234	0.10		
			235	0.24		
			236	0.14		
			238	0.29		
			239	0.14		
			242	0.07		
			243	0.04		
			244	0.10		
			270	0.05		
			271	4.02		
			272	0.19		
			274	0.06		
			276/1	0.31		
			276/2	0.22		
			276/3	0.12		
			277	0.26		
			281/1	0.20		
			281/3	0.20		
			281/4	0.16		
			284	0.20		
			285	0.16		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			286	0.13		
			288	0.12		
			289	0.25		
			290	0.73		
			291	0.24		
			292	0.35		
			293	0.36		
			294	0.81		
			295	0.48		
			306	0.76		
			307	0.11		
			308	0.04		
			309	0.05		
			310	0.05		
			311	0.04		
			324	0.32		
			325	0.55		
			326	0.31		
			333	0.18		
			334	2.00		
			336	0.18		
			337	0.65		
			340	0.23		
			369/1	1.02		
			370	0.24		
			372	2.26		
			373	0.53		
			374	0.07		
			377	1.10		
			379	0.37		
			381	2.01		
			382/1	0.12		
			383/1	0.19		
			383/3	0.20		
			387	0.13		
			392	0.01		
			394	0.03		
			395	0.01		
			399	0.04		
			403	1.07		
			404	0.05		
			411	0.70		
			416	0.12		
			417	0.08		
			419	0.06		
			420	0.50		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			421	0.18		
			528	0.05		
			529	0.49		
			530	0.40		
			531	0.46		
			532	0.46		
			541	0.08		
			542	1.35		
			543	0.45		
			544	0.04		
			545	0.04		
			548	0.47		
			557/2	0.72		
			558	0.25		
			562	0.40		
			563	0.35		
			564	0.25		
			565	1.49		
			568	0.26		
			569	0.44		
			570	0.43		
			571	0.32		
			572	0.40		
			573	0.37		
			577/1	0.71		
			577/2	0.23		
			578	0.14		
			580/1	0.02		
			580/2	0.29		
			581	0.77		
			583	1.41		
			584	1.70		
			586/1	1.10		
			588/1	2.97		
			589	0.29		
			592/1	0.28		
			593/1	0.19		
			595	0.21		
			596	0.19		
			599	1.54		
			604	0.27		
			606	0.04		
			609	0.12		
			611	0.06		
			614	0.24		
			615	0.17		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			616	0.84		
			618/1	0.17		
			619/1	0.20		
			619/2	0.55		
			621	0.33		
			624	0.09		
			625	0.19		
			629	0.35		
			633	0.47		
			637	0.05		
			638	0.30		
			644	0.22		
			647	0.09		
			651	0.05		
			652	0.20		
			653	0.28		
			658	0.65		
			661	0.51		
			666	1.02		
			669	0.52		
			670	0.99		
			672	2.28		
			673	0.32		
			677	0.05		
			687	0.20		
			688/1	0.58		
			688/2	0.18		
			689	0.30		
			693	0.06		
			694	0.16		
			698	0.21		
			699	0.95		
			701	0.22		
			702	0.24		
			703	0.26		
			707	0.55		
			709	1.38		
			710	1.41		
			712	0.53		
			718	0.22		
			719	0.49		
			722	0.20		
			723	1.38		
			724	0.10		
			726	0.21		
			729	0.36		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			731	0.41		
			749	0.09		
			752	0.19		
			753	0.07		
			755	0.15		
			757	0.18		
			759	0.17		
			761	0.08		
			763	0.13		
			765	0.13		
			766	0.15		
			767	0.07		
			768	0.33		
			770	0.16		
			771	0.18		
			773	0.27		
			776	0.12		
			777	0.37		
			779	0.09		
			783	0.03		
			785	0.61		
			791	0.05		
			801/1	0.16		
			801/2	0.16		
			803	0.49		
			804	0.35		
			807	0.70		
			808	1.03		
			809	0.95		
			811	1.05		
			812	1.28		
			813	1.97		
			814	1.75		
			815/3	0.80		
			816	0.62		
			817	1.13		
			818	0.63		
			819	0.26		
			820	0.85		
			825/7	0.30		
			825/12क	1.00		
			826	1.41		
			830	0.25		
			836	0.31		
			837	0.09		
			838	0.31		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			840	0.42		
			842	0.82		
			844	0.28		
			845	0.09		
			846	0.32		
			847	0.50		
			848	0.30		
			849	0.17		
			850	2.74		
			855	0.20		
			856/2	0.46		
			857	0.77		
			858	0.18		
			859	0.56		
			864/2	0.58		
			865/2	0.31		
			867	0.54		
			869	0.11		
			872	0.40		
			873	0.75		
			874	0.91		
			876	0.08		
			879	0.82		
			884	0.11		
			886	0.56		
			887	0.03		
			892	0.72		
			893	1.42		
			896	0.46		
			898	0.04		
		योग	**274**	**128.39**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमलसिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 23 जनवरी 2013

क्रमांक/02/भू-अर्जन/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम-सोनाखान, प. ह. नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.023 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	757/1क/13	2.023
योग		2.023

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-मखुरहा जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 23 जनवरी 2013

क्रमांक/03/भू-अर्जन/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम-मोहतरा, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.166 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1193/2	0.216
	1193/3	0.469
	1201/3/2	0.051/0.520
	1193/9	0.105
	380/2, 383	0.203
	395	0.105
	995/2/3	0.049/0.357
	102	0.048
	103/2	0.154/0.202
	1089/2	0.185
	409/2	0.081
	1032/2	0.097
	1009	0.098
	995/1	0.405
	79/3, 91/3, 92/3	0.052
	101	0.085
	1008/3	0.138
	71/4	0.032
	77/3, 78/3, 78/2/2	0.085/0.117
	314	0.065
	412	0.032
	309/3	0.024/0.121
	1089/3	0.052
	1035/2	0.123
	1035/4	0.144
	1043/2/3	0.068/0.335
योग	26	3.166

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोक मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.